भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3366
16.12.2024 को उत्तर के लिए

'ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के तहत वनीकरण कार्यक्रम'

3366. डॉ. जयंत कुमार राय :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हरित भारत मिशन के अंतर्गत उत्तर बंगाल, विशेषकर जलपाईगुड़ी में वनरोपण अथवा जैव-विविधता संरक्षण परियोजनाएं शुरू की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) जलपाईगुड़ी के वन क्षेत्रों में मानव-वन्य जीव के बीच बार-बार होने वाले टकराव को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) क्या प्रभावित परिवारों को पर्याप्त मुआवजा प्रदान किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क): हरित भारत राष्ट्रीय मिशन (जीआईएम) उन आठ मिशनों में से एक मिशन है जो जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत तैयार किये गये हैं। इसका लक्ष्य भारत के वन क्षेत्र की सुरक्षा करना, उसे बहाल करना और बढ़ाना तथा वन एवं वनेतर क्षेत्रों में वृक्षारोपण के कार्यों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन की चुनौती का समाधान करना है। पश्चिम बंगाल राज्य में जीआईएम कार्यकलाप वित्त वर्ष 2019-20 में शुरू किए गए थे। यह जीआईएम 'लैण्ड स्केप' दृष्टिकोण का अनुसरण करता है और पश्चिम बंगाल की स्वीकृत परिप्रेक्ष्य योजना के अनुसार ये कार्यकलाप पांच 'भू-दृश्यों'/जिलों यथा बांकुरा, बीरभूम, बर्दवान, पुरुलिया और पश्चिम मेदिनीपुर में किए जा रहे हैं। अब तक, हरित भारत मिशन के तहत वृक्षारोपण/पारिस्थितिकी-पुनर्स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल राज्य को 10.95 करोड़ रुपये की धन राशि जारी की गई है।

(ख): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 06 फरवरी, 2021 और 03 जून, 2022 को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को समग्र परामर्शिकाएं/दिशानिर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थितियों से निपटने के लिए प्रजाति-विशिष्ट दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।

(ग): मंत्रालय केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों- 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास', 'बाघ एवं हाथी परियोजना' के तहत वन्यजीवों और उनके पर्यावासों के संरक्षण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस स्कीम के तहत समर्थित कार्यकलापों में जंगली पशुओं को फसल के खेतों में आने से रोकने के लिए कांटेदार तार की बाड़, सौर ऊर्जा चालित बिजली की बाड़, कैक्टस का उपयोग करके जैविक बाड़, चारदीवारी, आदि जैसे भौतिक अवरोधों का निर्माण/स्थापना करना शामिल है। मंत्रालय ने वन्यजीव पर्यावास के एकीकृत विकास की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण होने वाली मानवीय क्षति की दशा में अनुग्रह राशि 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गयी है।

वन्य जीवों और उनके पर्यावासों के संरक्षण के लिए वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत पूरे देश में महत्वपूर्ण वन्यजीव पर्यावासों को शामिल करते हुए संरक्षित क्षेत्रों अर्थात् राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व का एक नेटवर्क बनाया गया है।

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 33 के अंतर्गत निहित प्रावधानों के अनुसार, मंत्रालय ने संरक्षित क्षेत्रों के लिए प्रबंधन योजना की प्रक्रिया तथा संरक्षित क्षेत्रों और अन्य भू-दृश्यी तत्वों के लिए प्रबंधन योजना की अन्य प्रक्रिया हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं।

*****